

30.9.2021

प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। चूंकि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील आज निर्णित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, यह रथगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

